

राजरथान सरकार
निदेशालय,समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:एफ.16(1(93)सामा./आई.सी.डीएस./2018/ 34763

दिनांक- 16-5-18

—:आदेश:—

समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित वर्ष 2018-19 में परीक्षा देने की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है:—

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- 2 राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5 जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

अतः सभी संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता कि वे अपने अधीन सेवारत अधिकारी /कर्मचारी जिन्हे अध्ययन की अनुमति दी गई है, उनकी समीक्षा करें उनके शिक्षण संस्थानों से उनके अध्ययन और संस्थानों में उनकी उपस्थिति इत्यादि की भी जानकारी प्राप्त करें। स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनके द्वारा धारित की गई डिग्री/प्रमाण पत्र को अभिलेख कर सूचना अतिरिक्त निदेशक(आई.) मुख्यालय को देगे।

क्र. सं.	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	पदस्थापन स्थान	अग्रिम अध्ययन परीक्षा का नाम
1	श्री गोतमराज वर्मा	कनिष्ठ-सहायक	निदेशालय(जयपुर)	बी.ए. तृतीय वर्ष 2018-19

2	श्री अशोक कुमार	पूर्व.प्रा.अध्यापक	CDPO-टिब्बी (हनुमानगढ)	बी.ए. प्रथम वर्ष 2018-19
3	श्रीमती मुखलेश	पूर्व.प्रा.अध्यापक	CDPO-सागोद (कोटा)	एम.ए. द्वितीय वर्ष 2018-19
4	श्री सुशील कुमार सोलंकी	पूर्व.प्रा.अध्यापक	CDPO-पोकरण (जैसलमेर)	बी.ए. प्रथम वर्ष 2018-19
5	श्री जगदीश प्रसाद	पूर्व.प्रा.अध्यापक	CDPO-नोहर (हनुमानगढ)	एम.ए.प्रीवियस 2018-19(संस्कृत)
6	सुश्री पूनम कुमारी जाट	कनिष्ठ सहायक	निदेशालय(जयपुर)	बी.ए. तृतीय वर्ष 2018-19
7	श्री मांगीलाल सारण	पूर्व.प्रा.अध्यापक	CDPO- सरदारशहर (ग्रामीण)	एम.ए. प्रीवियस 2018-19
8	सुश्री सोनु आनन्द	महिला प्रयवेक्षक	CDPO- कुचामनसिटी(नागौर)	एम.ए. प्रीवियस 2018-19
9	श्रीमती शालूबाई	पूर्व.प्रा.अध्यापक	CDPO- विराटनगर(जयपुर)	एम.ए. प्रीवियस 2018-19
10	श्री आजाद भगत सिंह मीणा	पूर्व.प्रा.अध्यापक	CDPO-सागवाडा.प्रथम (धोलपुर)	बी.ए.प्रथम वर्ष 2018-19
11	सुश्री पायल त्रिवेदी	महिला प्रयवेक्षक	CDPO-सागवाडा.प्रथम (धोलपुर)	बी.एल.आई.बी. वर्ष 2018-19
12	श्री रेखा	पूर्व.प्रा.अध्यापक	CDPO- डूंगरपुर(डूंगरपुर)	बी.ए. द्वितीय वर्ष 2018-19


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक-

क्रमांक:एफ:16(1(93)सामा./आई.सी.डीएस./2018/

प्रतिलिपिनिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास -----

2.बाल विकास परियोजना अधिकारी-----जिला-----

3.संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री-----पद-----

4.ए.सी.पी.,मुख्यालय को वेवसाईड पर अपलोड करने बाबत।

5.आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक(प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर